झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3902 वर्ष 2020

1. सच्चिदानंद शर्मा, उम्र लगभग 70 वर्ष, पे0 स्वर्गीय लखनलाल शर्मा, निवासी–डॉ0 एस0एन0 शर्मा, फ्लैट सं0–304, श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट, आर0आर0बी0 कॉलोनी, इंद्रपुरी रोड, सुखदेव नगर, रातु रोड, डाकघर–रातु, थाना–रातु, जिला–राँची, झारखण्ड
2. रामाकान्त शर्मा, उम्र लगभग 70 वर्ष, पे0 स्वर्गीय शिवध्यान शर्मा, निवासी–सी0/ओ0 एस0के0 दिवाकर, एस–210, परगना अपटाउन, नीलाद्री रोड, बंगलोर, इलेक्ट्रिक सिटी, फेज–1, कर्नाटक ... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर–डोरंडा, थाना–डोरंडा, जिला–रांची, झारखण्ड।
3. कुलपति, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, डाकघर–हजारीबाग, थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग, झारखण्ड।
4. निबंधक, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, डाकघर–हजारीबाग, थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री सौरव अरूण, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए: श्री दीपक कुमार दुबे, ए0जी0 के ए0सी0

उत्तरदाता विश्वविद्यालय के लिएः श्रीमती इंद्राणी सेन चौधरी, अधिवक्ता

2/14.01.2021 श्री सौरव अरूण, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री दीपक कुमार दुबे, प्रतिवादी राज्य की ओरसे पेश विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्रीमती इंद्राणी सेन चौधरी को सुना।

2. इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुनागया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका उत्तरदाताओं पर यह निर्देश देने के लिए दायर किया है कि याचिकाकर्ता को 5वें, 6ठे एवं 7वें वेतन पुनरीक्षण के अनुसार दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से दिनांक 31.05.2005 तक 12000–420–18300 के वेतनमानकेअनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाय जो याचिकाकर्ता को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है चूंकि यह विषय अब अनिर्णीत नहीं है और इस न्यायालय द्वारा निर्णीय किया जा चुका है और इस न्यायालय के खण्डपीठ के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है और इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 4162/21013 में पारित निर्णय जो एल0पी0ए0 संख्या 661/2019 के द्वारा पुष्टि की गई है, के आलोक में रीडर के दो वेतनमान को खारिज कर दिया गया था और रीडर के केवल एक पद को माना गया था।

3. श्री सौरव अरूण, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता को एक व्याख्याता के रूप में के0बी0 महाविद्यालय बेरमो में दिनांक 18.01.1982 को नियुक्त किया गया था, और दिनांक 18.01.1982 को रीडर के रूप में प्रोन्नत किया गया था और वह 6 जुलाई, 1982 को पी0एच0डी0 पूर्ण किया, याचिकाकर्ता संख्या 1 दिनांक 29.02.2012 को के0बी0 महाविद्यालय, बेरमो से रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में सेवानिवृत्त हुआ, इसी तरह याचिकाकर्ता संख्या 2 को 01.01.1981 को के0बी0 महाविद्यालय, बेरमो में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया, 01.01.1991 को रीडर के रूप में पदोन्नत किया गया और दिनांक 07.02.1991 को पी0एच0डी0 पूर्ण किया और 30.11.2016 को सेवानिवृत्त हुए, याचिकाकर्ता संख्या 1 गणित के विषय में व्याख्याता था, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 जन्तु विज्ञान विषय में व्याख्याता था। यह रिट याचिका में कहा गया है कि यू0जी0सी0 की कैरियर उन्नति योजना के तहत, जो दिखाती है कि व्याख्याताओं के वरीय वेतनमान ग्रेड में जाने के लिए पात्रता के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि, पी0एच0डी0 के साथ के लोगों के लिए 4 वर्ष, एम0 फिल के साथ के लिए 5 वर्ष और व्याख्याताओं के स्तर पर के लोगों के लिए 6 वर्ष और ग्रेड या रीडर/व्याख्याता प्रवर कोटि में जाने की पात्रता के लिए, वरीय प्रवर कोटि में व्याख्याता की सेवा की न्यूनतम अवधि समान रूप से 5 वर्ष होगी। रिट याचिका के पैरा संख्या 32 में उल्लेख किया गया है कि यह एल0पी0ए0 संख्या 2/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2019 के बाद के आदेश से स्पष्ट होगा, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी की जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि

विश्वविद्यालयों में पूरे राज्य के रीडरों की कुल सुख्या जिन्हें 'समयबद्ध पदोन्नति योजना/मेरिट पदोन्नति योजना' के तहत पदोन्नति दी गई थी, जिसका अर्थ है कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के बाद, प्रतिवादी/राज्य सभी रीडरों को एक वेतनमान में 12,000–420–18,300 रू0 में 5वीं, 6ठी और 7वीं वेतन संशोधन समिति के अनुसार बकाया भुगतान का पक्ष ले रही है। यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता इसके अतिरक्त, रीडर के पद पर पदोन्नति के समय 12,000–420–18,300 के वेतनमान पर व्याख्याता प्रवर कोटि में रखे जाने के योग्य थे, लेकिन उन्हें 10,000–15,200 के पैमाने पर रखा गया है। उन्होनें आगे कहा कि ''गीता बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य'' डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 3690/2018, प्रशांत कुमार मिश्रा और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 3690/2018 में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर यह मुद्दा अब अनिर्णीत नहीं है। उन्होनें कहा कि ''प्रशांत कुमार मिश्रा और अन्य बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य'' और ''गीता बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य'' के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए मामले को कृप्या प्रतिवादी राज्य को निर्देश के साथ निपटाया जा सकता है।

5. श्रीमती इंद्राणी सेन चौधरी, विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करना राज्य के क्षेत्र में है। वह आगे कहती है कि यदि राज्य सरकार द्वारा कोई सुधार किया जाएगा, तो विश्वविद्यालय उसी का अनुपालन करेगा।

6. प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि ''प्रशांत कुमार मिश्रा'' और ''गीता'' (सुप्रा) के मामले में समान मामलों को समाप्त किया गया है जिसकी पुष्टि एल0पी0ए0 संख्या 22/2018 में की गई थी। यह कहा गया है कि उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर, न्यायालय तद्नुसार इस मामले का निपटान कर सकता है।

7. उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, प्रतिवादी राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा ''प्रशांत कुमार मिश्रा'' और ''गीता'' (सुप्रा) और एल0पी0ए0 संख्या 22/2018 में दिए गए निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करे और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत करने की तारीख से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करे।

8. यह कहना नहीं होगा कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय लिया जाता है तो उसे चार सप्ताह की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा ताकि याचिकाकर्ताओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

9. उपरोक्त टिप्पणियों और दिशा के साथ, यह रिट याचिका (डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 3902) का निपटारा किया जाता है।

10. आई0ए0, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)